न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 57 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 214)	25.10.2023	23.12.2024

1. बफात पि. सद्दीक निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
2. इरफाक पि. सद्दीक निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
3. फरीदा पि. सद्दीक निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
4. रईस पि. सद्दीक निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
5. शमीम पि. सद्दीक निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
6. साजिक पि., सद्दीक निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
7. शबनम पि. साबिर निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
8. इमरान पि. साबिर निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
9. सद्दाम पि. साबिर निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
10. अंजुम पि. साबिर निवासी मोरडीपाडा, बून्दी
11. मुन्नी बाई पत्नी साबिर निवासी मोरडीपाडा, बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री मोहम्मद युनुस एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी के आदेश दिनांक 25.07.23 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में पटवारी बून्दी सिटी द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर तहसीलदार बून्दी द्वारा पत्र दिनांक 25.07.2023 से मार्गदर्शन भिजवाया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 57/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/214 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलांटस व पेरोकार सरकार सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत आराजी ग्राम बून्दी के खसरा नं. 274, 276, 277, 278, 279 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल कुल रकबा 0.3158 हैक्टेयर का फौती इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी पहलुओं को समझे बिना तथा पूर्व के रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय प्रदान कर खारिज कर दिया गया। जबकि उक्त आराजी के पूर्व खातेदार हमारे पूर्वज रहीम बख्श वल्द लुकमान, सरदार वल्द सुलेमान, सलाम मोहम्मद खां पुत्र हसन खां, अकबर खां पुत्र करीम खां, इमाम बख्श वल्द भूरे खां का नाम जमाबंदी में अंकित है। इनमें से रहीम बख्श, सरदार मोहम्द, सलाम मोहम्मद, अकबर खां का देहान्त काफी समय पूर्व हो चुका है। उन सभी खातेदारान के कोई सन्तान नहीं है ना ही उनका कोई जायन्दा वंशज है। उक्त जमाबंदी में इमाम बख्श ही अकेला बचा था, जिनका भी दिनांक 12.03.1983 को देहान्त हो चुका है। इमाम बख्श के एक मात्र पुत्र सद्दीक हुआ, जिसका भी दिनांक 27.04.1998 को देहान्त हो चुका है। सद्दीक के एक पुत्र साबिर का भी देहान्त हो चुका है। अपीलांटस सद्दीक पुत्र इमाम बख्श एवं उसके मृतक पुत्र साबिर पुत्र सददीक के वारिसान है। अपीलांटस व उनके पूर्वज कम पढे–लिखे होने के कारण समय पर फौती इन्तकाल दर्ज नहीं करवाया गया। अपीलांटस को जानकारी होने पर स्व. इमामबख्श का फौती नामान्तरकरण दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी को पेश किया गया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से खारिज करने में त्रुटि की है। बून्दी दरबार द्वारा अपीलांट के पूर्वजों के काम से प्रभावित होकर उनके नाम उक्त आराजी दी गई थी, जब अपीलांटस के पूर्वज जिन्दा रहे वह संयुक्त रूप से उक्त आराजी तथा उस पर निर्मित तामीरात पर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से अपीलांटस काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण कानूनी प्रकिया की पालना करते हुये पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन कर साक्ष्य आदि लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसकी अपीलांटस को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.08.23 को तहसील में जार मालुमात करने पर हुई। अपीलांटस ने उसी दिन को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक

जिला कलेक्टर; बून्दी

22.09.23 को नकल प्राप्त हुई। अतः नकल प्राप्ति के दिनांक 23.8.23 से 22.09.23 तक के दिन मुजरा करने पर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने एवं अपीलांटस के पक्ष में उक्त आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार का तर्क रहा कि अपीलांटस द्वारा दिनांक 01.09.22 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में पटवार हल्का, बून्दी द्वारा उक्त आराजी के मूल खातेदार "पंच मुसलमान हुस्यारान" दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं ? बाबत तहसीलदार बून्दी से मार्गदर्शन चाहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में तहसीलदार बून्दी द्वारा पटवारी बून्दी सिटी को पत्र दिनांक 25.07.23 को जारी कर भूमि संस्थागत पंच मुसलमान खातेदारी की है। सदस्य, पंचो द्वारा मनोनीत या मृत्यु होने पर नये सदस्य बनाना संस्था का कार्य है। अतः इसमें फोती नामा0 दर्ज नहीं किया जा सकता है, बाबत अवगत कराया गया। तहसीलदार बून्दी के उक्त पत्राचार के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा अपील पेश की गई है जो पोषणीय नहीं है तथा गुणावगुण पर भी विधिक विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2024 की जानकारी दिनांक 23.08.2023 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार बून्दी सिटी में विस्थित आराजी खसरा संख्या 274, 275, 277 किस्म चाही–I, 277 किस्म जाव–I, 278, 279 कुल किता 5 कुल रकबा 0.3158 हैक्टेयर के खातेदार पंच मुसलमान हुस्यारान सा.बून्दी हिस्सा पूर्ण अ.विव.–बर्जेय रहीमबक्ष वल्द लुकमान, सरदार मोहम्मद वल्द सुलेमान, सलाम मोहम्मद खां वल्द हसन खां, अकबर खां वल्द करीम बक्ष खां, इमाम बक्ष वल्द भूरे खां कौम मूसलमान सा. बून्दी हि.ब. खातेदार दर्ज रेकार्ड है। अपीलांटस द्वारा तहसीलदार बून्दी को दिनांक 01.09.22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व. इमामबख्श का फोती नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाम खोले जाने का निवेदन किया गया था।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपीलांटस की आपत्ति रही है कि स्व. इमाम बख्श का फौती नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाम खोले जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2022 को खारिज करने में कानूनी भूल की है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से प्रकट है कि अपील विषयक आराजी अपीलांटस के पूर्वज स्व.इमाम बख्श की निजी खातेदारी भूमि नहीं होकर पंच मुसलमान हुस्यारान सा. बून्दी की खातेदारी की भूमि है। उक्त जमाबंदी संवत् 2073–2076 में अंकित खाता व्यक्तिगत खाता नहीं होकर एक संस्थागत खाता है। संस्था द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम संस्थागत खाते एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर सदस्यों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक सदस्य के वारिसान के पक्ष में नियमानुसार विरासतन का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता, अपितु मृतक सदस्यों के स्थान पर नये सदस्य मनोनीत करना या नये सदस्य बनाना संस्था का कार्य है। फोती नामान्तरकरण के माध्यम से उक्त संस्था खाते में तहसीलदार बून्दी संस्था के नये सदस्य बनाकर उनके नाम दर्ज करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। अपीलांटस की ओर से तहसीलदार बून्दी द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 25.07.2023 के विधि विरूद्ध होने के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान या सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। ऐसे में तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन बलहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी